(44)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 290/DLRC-2021 दिनांकः– 1.3.21

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 1.3.21 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत **भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग** के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **1.6100 हैक्टेयर वन** भूमि वन विभाग से लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–विकासनगर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **1.6100 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के लांघा रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी। प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी	जिलाधिकारी देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून।

पृ0स0 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

जिलाधिकारी,
देहरादून।

(45)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Kumar Srivastava , I.A.S. District Magistrate on Dated 1.3.21 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **1.6100 Hect** for the Construction of **Construction of Bhaler-Kandoi-Madarsu** Motor Road under P.W.D of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Vikasnagar** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

DistrictMagistrate
District level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून ।

(46)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No....290/DLRC-2021 Dated...01.3.21

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **1.6100** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Work Department Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Bhaler, Madarsu and Kandoi** Villages in **Viksasnagar tehsil.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.6100** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector) जिलाधिकारी देहरादून।

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई–4.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.6100 **है0** वनभूमि लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

ह0.....

जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई–4.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, – विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.3895 है0, सिविल सोयम भूमि 0.2205 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 1.6100 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–विकासनगर) की दिनांक 04/12/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...... सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी विकासनगर (देहरादून) अध्यक्ष

2 श्री रंगनाथ पाण्डेय उप प्रभागीय वनाधिकारी सहसपुर/कालसी सदस्य

3 श्रीमति पूजा पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सचिव

4 श्री विनय पुण्डीर बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य

उपजिलाधिकारी विकासनगर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0–विकासनगर (देहरादून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मा0 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना हेतु **1.6100 है0 वन भूमि (1.3895 आरक्षित वन भूमि, 0.2205 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **विकासनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के नवनिर्माण कार्य** के निर्माण हेतु **1.6100 है0** वन भूमि **(1.3895 आरक्षित वन भूमि, 0.2205 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई–4.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– मदर्सू (बिनहार पू0)

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 1.3895 है0, सिविल सोयम भूमि 0.2205 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 1.6100 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मदर्सू द्वारा दिनांक 20/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मदर्सू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– मदर्सू
वि0ख0–विकासनगर (देहरादून)

प्रधान ग्राम पंचा. मदर्सू
वि0 विकासनगर (देहरादून)
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 20/01/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– मदर्सू (बिनहार पू0)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अंकित तोमर	Ankit
2	जगदीश पुण्डीर	जगदीशसिंह
3	Rsimar	रणवीर सिंह
4	S Pamar सत्यपाल	सत्यपाल
5	दिग्पालसिंह	[illegible]
6	Kuldeep Singh Pamar	K Singh
7	जितेन्द्रसिंह	Pamar
8	विनय पुण्डीर	[illegible]
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई–4.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– भलेर (बिनहार पू0)

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 1.3895 है0, सिविल सोयम भूमि 0.2205 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 1.6100 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **भलेर** द्वारा दिनांक 24/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भलेर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत भलेर (बिन्हार)
वि.ख. विकासनगर (दे.दून)

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– भलेर
विकास खण्ड–विकासनगर (देहरादून)

(53)

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 24/01/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– भलेर (बिनहार पू0)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सत्यपाल सिंह	[signature]
2.	केशर सिंह	केशर सिंह
3	नितिन तोमर	Tomar
4	नवीन तोमर	[signature]
5	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
6	मेहर सिंह	मेहर सिंह
7	सुभाष	Subhas
8	रिकेश	Rikesh
9	प्रीतम	प्रीतम
10	प्रताप	प्रताप सिंह
11	कल्लू	कल्लू
12		[signature]
13		प्रधान
14		ग्राम पंचायत भलेर (बिन्हार)
15		वि०ख० विकासनगर (देहरादून)
16		
17		
18		
19		
20		

(54)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई–4.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– काण्डोई (बिनहार पू0) (भलेर)

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 1.3895 है0, सिविल सोयम भूमि 0.2205 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 1.6100 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **भलेर** द्वारा दिनांक 24/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काण्डोई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत भलेर (बिन्हार)
वि0ख0 विकासनगर देहरादून

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– भलेर
विकास खण्ड–विकासनगर (देहरादून)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 24/01/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– काण्डोई (बिनहार पू0) (भलेर)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बाबूलाल	बाबूलाल
2	विशम्बर	विशम्बर सिंह
3	देवपाल सिंह तोमर	[illegible]
4	सुरेन्द्र सिंह चौहान	[illegible]
5	रामेश्वर नेगी	[illegible]
6	भरतसिंह रावत	BS Rawat
7	चन्द्रपाल सिंह	[illegible]
8	राजेश सिंह	[illegible]
9	विजेन्द्र सिंह	[illegible]
10	रमेश सिंह	रमेश
11	सुरेश सिंह	सुरेश
12	आदेश रावत	[illegible]
13	हुकम सिंह	हुकम सिंह
14	शूरवीर	शूरवीर
15	सिन्हा सिंह	[illegible]
16	हर्ष तोमर	[illegible]
17	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
18	राजेन्द्र	राजेन्द्र सिंह
19	सुरेशसिंह नेगी	[illegible]
20	सुरेश कुमार	सुरेश कुमार

Rawat

प्रधान

ग्राम पंचायत भलेर (बिन्हार)

वि०ख० विकासनगर (देहरादून)